

Stamp

1275/00

Khallas - E.P. माशी राव

7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699779



किस्म दस्तावेज

:- विक्रय विलेख

स्टाम्प

:- 1,27,400 /-रु०

भूमि मूल्यांकन पेज नं० 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं० 1049 जो भाग 2 (ख)
(I) पर स्थित है सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000 /-रु० प्रतिहेक्टेयर से भूमि
की मालियत 9,17,000 /-रु० है भूमिधरी में कच्चा कुँआ बना है जिसकी मालियत
23,000 /-रु० है इस प्रकार कुल मालियत 9,40,000 /-रु० है विक्रय मूल्य
12,73,500 /-रु० है इसलिए स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है

2
मा. भू. वि. वि.

Rajesh Bansal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

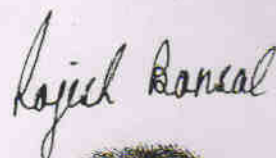
699780

(2)

1. भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि
2. ग्राम :- ग्राम खैलार परगना व तहसील झौंसी
3. सम्पत्ति का विवरण :- कुल विक्रयशुदा रकवा 1.146 है०
4. मापन की इकाई :- हैक्टेयर
5. सडक की स्थिति :- झौंसी ललितपुर मार्ग से डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूर है आबादी से 600 मीटर से अधिक दूर है किसी भी सर्वेक्षित मार्ग पर स्थित नहीं है











, उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699781

(3)

6. प्रतिफल की राशि :- 12,73,500 / -रु० में से 6,63,500 / -रु० नगद व 4,10,000 / -रु० जरिये चैक नं० 099594 व 2,00,000 / -रु० जरिये चैक नं० 117365 दोनों ही चैक आई०सी०आई०सी०आई० बैंक झाँसी के विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।

7 :- प्रथम पक्ष की संख्या :- एक

8. द्वितीय पक्ष की संख्या :- एक











४ उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699782

(4)

9. नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):- श्री काशीराम तनय श्री भगुवा

निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉसी

10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :- मैसर्स इमामी रियलटी

प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस 97-ए सदरन एवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश

बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झॉसी











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080736

(5)

यह विक्रय आज दिनांक 26.03.2008 ई0 को श्री काशीराम तनय श्री भगुवा
निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा
गया है) तथा मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97-ए सदरन
ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808
ग्वालियर रोड झॉसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया
गया है।









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

A 854478

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :- आराजी मौजा ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकबा
45	1907 ✓	0.210 है०
	1908 ✓	0.117 है०
	1909 ✓	4.197 है०
	1992 ✓	0.534 है०
	1993	0.672 है०

कुल 5 किता रकबा 5.730 है० में से 1/5 अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया है व भूमिधरी में एक कच्चा कुँआ बना है उसका भी 1/5 भाग वय किया गया है। भूमिधरी भुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है उक्त भूमिधरी में पेड़ नहीं है एवं कृषि भूमि है। कुल लगान 18.90/-रु० वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

[Signature]

Rajesh Bansal

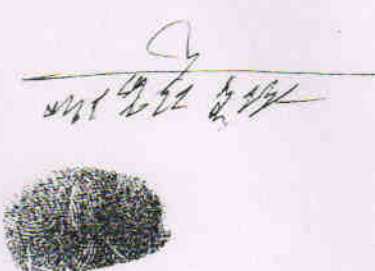


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

A 854193

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विघ्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेतागण को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।





1000Rs.



(8)

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता, क्रेतागण को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार, जो विक्रेता को प्राप्त थे, वे क्रेतागण को प्राप्त हो गये हैं।

[Handwritten signature]



Lajich Bansal





(9)

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतागण को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।
3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए, सम्पत्ति क्रेतागण को सौंप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेतागण अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।
4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

Rajesh Bansal



20/10/2020





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

S 649171

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुकस मिलकीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेतागण को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनों सम्पत्तियों के द्वारा क्रेतागण वसूल करने के उत्तरदायी होंगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नहीं होगा।

6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।

Rajesh Bansal

2/2/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 649169

(11)

7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते हैं, तब विक्रेतागण उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेतागण उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झोंसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।

10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य धोषित कर दिया जाता है तब क्रेतागण, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।

[Signature]



Rajesh Bansal



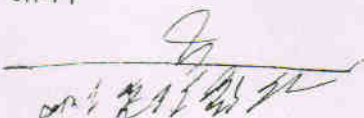


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 649174

(12)

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेतागण एवं क्रेतागण शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेतागण तथा क्रेतागण ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणों एवं धराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ। उक्त फर्म ने दिनांक 27.07.2007 ई0 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा व श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत है लिहाजा बदरुस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै।










उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 649175

दिनांक :- 26.03.2008 ई०

प्रारूपकर्ता :- इकबाल अहमद बेसीका नवीस तह. सांसी

भरत प्रकाश के जयपुर का सत्यापन प्राप्त
 श्री. अशफाक अहमद बेसीका नवीस तह. सांसी
 निवासी
 के द्वारा प्रस्तुत है।

माल माल

महेश लाल



Kajich Bansi



सत्यमेव जयते

मुकाम



जवाब

कोनसिह रं. दीनाराय नि. खिलार सांसी

जवाब

Komsan Makrani H. Ashfaq Makrani
 250 mukarjama Thanni (U.P.)

पत्र लख

सत्यमेव जयते

नाम

दिनांक

सी. ए. ई. कोनसिह

विशेष